

TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION 3(II) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

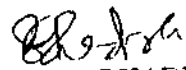
NEW DELHI, THE

18/8/99

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. No. In exercise of the powers conferred by the sub-clause (v) of clause (23C) of section 10 of the Income tax Act, 1961(43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Padmanbhaswamy Temple Trust, Thiruvananthapuram, Kerala" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1994-95 subject to the following conditions, namely:

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above other wise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.


(SAMAR BHADRA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

NOTIFICATION NO. 11037 (F.NO. 197/82/97-ITA.I)

To

The Manager,

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3१।११ में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

18/8/97

अधिसूचना

§ आय-कर §

आयकर अधिनियम, 1961 § 176 का 43 § की धारा 10 के खण्ड

3-य § के उपखण्ड 1/ § द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार
द्वारा "श्री पद्मनाभस्वामी टैपल ट्रस्ट, तिरुवनंतपुरम, केरल"

का निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1994-95 तक के लिए निम्नीलिखित भागों के अधीन
के रूप में उप-खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

कर-निर्धारित इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने
के लिए इसका संयोजन पूर्णतया तथा अन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके
लिए इसकी स्थापना की गई है;

कर निर्धारित उपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की
जिस भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा 5 § में विनिर्दिष्ट किसी
एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा तरीकों से निम्न तरीकों से उसकी निधि
जोवर, जलाहिरात, फर्चिर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-
रखाव में रक्षित अंशदान से निम्न § का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं
करेगा सहेगा;

यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार
से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो, जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-
निर्धारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार
के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

संख्या सं०

11037

समर भट्ट

§ समर भट्ट §

अवर सचिव, भारत सरकार

§ फा० सं० 197/82/97 - आ.क.नि. II §

11 में,

मुख्यमन्त्री,

भारत सरकार, मुख्यमन्त्री,

सिंह रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

इराजीरी गार्डन के समीप, नई दिल्ली